

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

25-1-24 पार्थियागण द्वारा पत्रावली तलब कर विडो
करने बाबत पार्थियागण-पत्र पेश करने पर पत्रावली
तलब की गयी। पार्थियागण स्वयं उपस्थित,
जिनकी पहचान वकील पार्थियागण द्वारा की
गयी। चूंकि मूल वाद में विडो करने के आदेश
दिये जा चुके हैं, इस कारण उक्त पार्थियागण-पत्र
में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से
पार्थियागण का पार्थियागण-पत्र खारिज किया
जाता है।
पत्रावली फैंसल कुमार होकर नम्बर
से कम हो।

 3/12/24

नैराज

मोवा

सोना

राज

कुण

Dr. Jyoti
B. J. M.
25/1/24

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)